

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केंद्रीय जल आयोग
जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय



Government of India
Ministry of Jal Shakti
Dept. of Water Resources, RD&GR
Central Water Commission
Water System Engineering Directorate

दिनांक: 04.10.2019

विषय - समाचार पत्रों की कटिंग का प्रस्तुतीकरण।

जल संसाधन विकास और संबद्ध विषयों से संबंधित समाचार पत्रों की कटिंग को केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष और सदस्य (कार्य योजना एवं परियोजना / अभिकल्प एवं अनुसंधान / नदी प्रबंध) के अवलोकन के लिए संलग्न किया गया है। इन समाचारों की कटिंग की सॉफ्ट कॉपी केन्द्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी।

अंजलि
04.10.2019
वरिष्ठ कलाकार

जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय

संलग्नक: उपरोक्त

उप निदेशक, (ज. प्र. आ.) निदे०

विवेक
04/10/2019

निदेशक, (ज. प्र. आ.) निदे०

प्रमोद झा
04-10-19

सेवा में,

अध्यक्ष, के. ज. आ., नई दिल्ली ✓

जानकारी हेतु - सभी संबंधित केन्द्रीय जल आयोग की वेबसाइट www.cwc.gov.in पर देखें।



Hindustan Times (New Delhi)
The Statesman (New Delhi)
The Times of India (New Delhi)
The Indian Express (New Delhi)
The Hindu (Delhi)
Pioneer (Delhi)
राष्ट्रीय सहारा (दिल्ली)

☐ Deccan Herald (Bengaluru)
☐ Deccan Chronicle
☐ The Economic Times (New Delhi)
☐ Business Standard (New Delhi)
☒ The Tribune (Gurugram)
☐ Financial Express
☐ दैनिक भास्कर (नई दिल्ली)

☐ हिंदुस्तान (नई दिल्ली)
☐ नव भारत टाइम्स (नई दिल्ली)
☐ पंजाब केसरी (दिल्ली)
☐ राजस्थान पत्रिका (नई दिल्ली)
☐ दैनिक जागरण (नई दिल्ली)
☐ जनसत्ता (दिल्ली)
☐ अमर उजाला (नई दिल्ली)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

and documented at WSE Dte, CWC.

Death toll in Bihar floods soars to 73

Several areas remain inundated after a week

PRESS TRUST OF INDIA
PATNA

The death toll in rain-related incidents in Bihar soared to 73 on Thursday, even as forces involved in relief and rescue operations fished out rotting corpses from waterlogged areas in several places. The torrential rain that took place between September 27 and September 30 has created a flood-like situation in 15 districts of the State, including the capital.

The State Disaster Management Force (SDRF) said that the death toll takes into account loss of lives caused by drowning, wall collapses, trees crushing people to death, and the electrocution of people trapped in waterlogged areas. It could not provide a district-wise break-up.

Worst affected

Bhagalpur, where the district administration has confirmed as many as 12 casualties, may be the worst affected.

In Patna, normal life has come to a grinding halt in



Reaching out: NDRF personnel rescuing an elderly person in Patna on Thursday. ■ RANJEET KUMAR

many parts of the city, notwithstanding efforts being made by the district administration, along with the National Disaster Response Force and the SDRF, to replenish stocks of food, medicines and drinking water for stranded citizens.

Banks, shops, private hospitals and coaching institutes, which abound in Kankar Bagh, Rajendra Nagar and Pataliputra Colony, the worst-affected sections, have

been closed for a week. The last time they could conduct normal business was on Friday, when the downpour began late in the evening and continued over the next couple of days. Heavy duty pumps have been brought in from Chhattisgarh to flush out the water with greater speed. Many localities have been rid of inundation.

Complaints are flooding helplines set up by the district administration, and its

WhatsApp group, with assurances from District Magistrate Kumar Ravi that remedial measures will be taken.

'Beyond Patna'

Bharatiya Janata Party MP Ram Kripal Yadav, who on Wednesday night fell into a shallow river while trying to reach a waterlogged area in rural Patna, alleged, "It seems the Patna administration cannot look beyond Kankarbagh and Rajendra

Nagar. Waterlogging has been there in Danapur but nobody seems to notice." Many have pitched in to help. In one instance, 13-year-old girl Siddhi Shreya came all the way from Samastipur to donate ₹11,000 she had collected over the years, for flood relief. The money was received by former MP Rajesh Ranjan alias Pappu Yadav, who has earned plaudits for his efforts in the past few days.

Hindustan Times (New Delhi)
The Statesman (New Delhi)
The Times of India (New Delhi)
The Indian Express (New Delhi)
The Hindu (Delhi)
Pioneer (Delhi)
राष्ट्रीय सहारा (दिल्ली)

☐ Deccan Herald (Bengaluru)
☐ Deccan Chronicle
☐ The Economic Times (New Delhi)
☐ Business Standard (New Delhi)
☒ The Tribune (Gurugram)
☐ Financial Express
☐ दैनिक भास्कर (नई दिल्ली)

☐ हिंदुस्तान (नई दिल्ली)
☐ नव भारत टाइम्स (नई दिल्ली)
☐ पंजाब केसरी (दिल्ली)
☐ राजस्थान पत्रिका (नई दिल्ली)
☐ दैनिक जागरण (नई दिल्ली)
☐ जनसत्ता (दिल्ली)
☐ अमर उजाला (नई दिल्ली)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

and documented at WSE Dte, CWC.

Take up canalisation of Punjab rivers as national project: CM ^{HT-9}

'It will boost region's economic growth, conserve water'

SPECIAL CORRESPONDENT
CHANDIGARH

Punjab Chief Minister Amarinder Singh has asked the Centre to take up canalisation of the State's three eastern rivers of the Indus water system – Sutlej, Ravi and Beas – as a national project to enable conservation of water and enhancement of the region's economic growth.

In his proposal presented to Prime Minister Narendra Modi during a meeting in New Delhi, the Chief Minister suggested construction



CM Amarinder Singh

of high-speed economic corridors on the 985-km-long river embankments, apart from flood protection measures and lining of side slopes of the Sutlej, Ravi and

Beas.

The Chief Minister pointed out that the three perennial rivers irrigate only about 27% of the State's cultivated area, leading to over-exploitation of groundwater.

Capt. Amarinder also said that there was a need to harness river water which was currently flowing into Pakistan during the monsoons. "The canalisation of rivers and development of river front areas will expand activities, leading to widening of the base of Punjab's economy," he said.

THE INDIAN EXPRESS. 04.10.2019

MP seeks Rs 7,154 cr aid for flood, rain relief ^{IEA}

Bhopal: The Congress government in Madhya Pradesh on Thursday sought assistance of Rs 7,154.28 crore from the Centre to compensate people for losses due to excessive rainfall and floods in the state.

The demand includes Central assistance of Rs 6,621.28 crore under the NDRF head and the second installment of Rs 553 crore of this fiscal under the

SDRF. The MP government said 674 people lost their lives due to flood and lightning and 18 suffered physical disabilities.

According to the proposal, 39 of the state's 52 districts had suffered heavy losses. The rain, from June to September, affected crops worth Rs 16,270 crore cultivated on 60.47 lakh hectare land. Thousands of houses were partially or fully damaged. **ENS**

Hindustan Times (New Delhi)
The Statesman (New Delhi)
The Times of India (New Delhi)
The Indian Express (New Delhi)
The Hindu (Delhi)
Pioneer (Delhi)
राष्ट्रीय सहारा (दिल्ली)

☐ Deccan Herald (Bengaluru)
☒ Deccan Chronicle
☐ The Economic Times (New Delhi)
☐ Business Standard(New Delhi)
☐ The Tribune (Gurugram)
☐ Financial Express
☐ दैनिक भास्कर (नई दिल्ली)

☐ हिंदुस्तान (नई दिल्ली)
☐ नव भारत टाइम्स (नई दिल्ली)
☐ पंजाब केसरी (दिल्ली)
☐ राजस्थान पत्रिका (नई दिल्ली)
☐ दैनिक जागरण (नई दिल्ली)
☐ जनसत्ता (दिल्ली)
☐ अमर उजाला (नई दिल्ली)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

and documented at WSE Dte, CWC.

ST-4 Heavy rains lash Capital, disrupt flights

SNS & PTI

NEW DELHI, 3 OCTOBER

Heavy rains pounded the National Capital Region (NCR) this evening, resulting in waterlogging, traffic jams and brief disruption of flight operations at the airport. Hailstorm was also reported in some parts of Delhi.

The IMD's Regional Meteorological Centre said there was a low pressure area over Haryana that resulted in heavy rains over the NCR. The Safdurjung observatory recorded 35.2 mm rain. The RMC termed the rainfall "moderate".

Police reported traffic congestion and waterlogging in different parts of Delhi due to the downpour that lasted for about two hours.

Flight operations at the Delhi airport were suspended briefly. "Runway operation was suspended between 7.56 pm and 8.20 pm on Thursday due to heavy rains in Delhi. Four flights were diverted during this period," airport officials said.

NRC, Teesta to feature in Hasina-Modi bilateral talks

ST-4
NEW DELHI, 3 OCTOBER

Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina arrived in New Delhi on Thursday on a four-day visit to India during which she is expected to discuss various bilateral issues, including Dhaka's concerns over the National Register of Citizens (NRC).

"A relationship of utmost priority. Bangladeshi PM Sheikh Hasina arrives in Delhi on an official visit. India and Bangladesh share multifaceted relations which go far beyond the strategic partnership," External Affairs Ministry spokesperson Raveesh Kumar tweeted.

This is her first visit to India after assuming office for a third consecutive term.

During the visit, Sheikh Hasina will hold bilateral talks with Prime Minister Narendra Modi on Saturday and call on President Ram Nath Kovind. The two PMs will jointly inaugurate three bilateral projects via video link. External affairs minister S Jaishankar and Congress president Sonia Gandhi will call on Sheikh Hasina.

It is learnt that the two countries would sign more than ten MoUs during the visit. The two sides are also expected to discuss issues, including Teesta water-sharing and the repatriation of Rohingyas. The two countries will also discuss ways to enhance connectivity between them through river and sea routes. The two PMs are also likely to discuss the joint celebration of birth centenary of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and 50 years of Bangladesh's independence.

Meanwhile, Hasina received a surprise phone call from her Pakistani counterpart Imran Khan hours ahead of her visit to India, according to officials. Khan called Hasina amid his shrill anti-India campaign on the Kashmir issue after the Indian government revoked Article 370.

SNS

Hindustan Times (New Delhi)
The Statesman (New Delhi)
The Times of India (New Delhi)
The Indian Express (New Delhi)
The Hindu (Delhi)
Pioneer (Delhi)
राष्ट्रीय सहारा (दिल्ली)

☐ Deccan Herald (Bengaluru)
☐ Deccan Chronicle
☐ The Economic Times (New Delhi)
☐ Business Standard (New Delhi)
☐ The Tribune (Gurugram)
☐ Financial Express
☐ दैनिक भास्कर (नई दिल्ली)

☐ हिंदुस्तान (नई दिल्ली)
☐ नव भारत टाइम्स (नई दिल्ली)
☐ पंजाब केसरी (दिल्ली)
☒ राजस्थान पत्रिका (नई दिल्ली)
☐ दैनिक जागरण (नई दिल्ली)
☐ जनसत्ता (दिल्ली)
☐ अमर उजाला (नई दिल्ली)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

and documented at WSE Dte, CWC.

Water laws still stuck in the 19th century BS-4

In 2015, I chaired a committee set up by the Government of India to initiate urgent reforms in the laws governing water in India. In the Indian Constitution, water is a state subject. A popular but highly mistaken view is that converting water into a central subject would enable better management of India's water resources. Our committee took a contrary view. Given the very nature of water as a shared, common pool resource, and based on all successful efforts at managing water in India, we argued instead for adopting the principle of subsidiarity, which requires bringing the solution to the problem closest to the level at which the problem appears. Hence, the need is to decentralise water management as far as possible, involving the primary stakeholders in resolving water issues, as argued in earlier articles in this column, and as underlined by the 73rd and 74th amendments to the Constitution.

At the same time, however, we recognised that because water conflicts are becoming more widespread and intense by the day, there is an urgent need for a broad national framework of common approaches and principles to bring about prudent and socially just use of water, even while leaving room for flexibility on context specific detail. Article 249 of the Constitution empowers Parliament to legislate with respect to matters in the state list in the national interest. We thus drafted a National Water Framework Law (NWFL). We took abundant precaution to propose that the NWFL would follow the procedure laid out in Article 252 (1) of the Constitution, wherein if two or more state Assemblies pass resolutions in support of Parliament enacting such a law, Parliament would accordingly enact it. This is a framework legislation. It is not intended to centralise water management or change the constitutional position of water. Rather, it provides an overarching national legal framework with principles for protection, regulation and management of water that would govern the exercise of legislative and executive powers by the

Centre, states and local governance institutions.

The NWFL seeks to underscore a perspective, which reflects the central and multi-dimensional place of water in the life of people: "Water is the common heritage of the people of India; is essential for the sustenance of life in all its forms; an integral part of the ecological system, sustaining and being sustained by it; a basic requirement for livelihoods; a cleaning agent; a necessary input for economic activity such as agriculture, industry, and commerce; a means of transportation; a means of recreation; an inseparable part of people's landscape, society, history and culture; and in many cultures, a sacred substance, being venerated by some as a divinity". It is this recognition that has largely been missing but must guide formulation of water programmes and policies in India.



WATER: REFORMS OR PERISH

MIHIR SHAH

The law incorporates all major legal pronouncements by the Supreme Court with reference to water, such as the public trust doctrine and the recognition of the right to water. The Supreme Court has held that "our legal system includes the public trust doctrine as part of its jurisprudence. The State is the trustee of all natural resources which are by nature meant for public use and enjoyment". The Supreme Court has also held that "Water is the basic need for the survival of human beings and is part of right to life and human rights as enshrined in Article 21 of the Constitution of India." Thus, the NWFL states that "water is the common heritage of the people of India, held in public trust, for the use of all, subject to reasonable restrictions, to protect all water and associated ecosystems." And that "the state at all levels holds water in public trust for the people and is obliged to protect water as a trustee for the benefit of all".

In effect, the NWFL brings water into the 21st century, reflecting the emerging reality, understanding and perspectives on water. It may be hard to believe but our groundwater continues to be governed by British common law of the 19th century, whose pro-

visions grievously increase inequity in water access and unsustainability in water use. The common law doctrine of absolute dominion gives landowners the right to take all water below their land. In effect, the legal status of groundwater is that of a chattel to the land: "The person who owns the surface may dig therein and if, in the exercise of such right, he intercepts or drains off the water collected from his neighbour's well, this inconvenience to his neighbour falls within the description of *damnum absque injuria* [damage without injury], which cannot become the ground of an action".

It is now much better understood through the science of hydrogeology that water flowing underneath any parcel of land may not be generated as recharge on that specific parcel. Recharge areas for most aquifers are only a part of the land that overlies the aquifer. Hence, in many cases, water flowing underneath any parcel of land will have infiltrated and recharged the aquifer from another parcel, often lying at a distance. When many users simultaneously pump groundwater, complex interference occurs between different foci of pumping, which is a common feature in India, where wells are located quite close to one another. This is typically how water tables have plunged and since there is no legal protection available against such consequences, lives and livelihoods of millions have been endangered. Our committee, therefore, also drafted the Model Groundwater (Sustainable Management) Bill, 2016, which uses the principles of the NWFL to overcome the existing legal anomalies governing groundwater. It brings in the "doctrine of reasonable use", making it illegal for one to use groundwater in a way that deprives others of their right to water for life.

Without these legal reforms and the fortifications they afford, we could seriously undermine the best work on water, which has been outlined in each article in this column. This new legal paradigm is the enabling bedrock for innovations in water management in India.

The writer is distinguished professor, Shiv Nadar University and former Member, Planning Commission, Government of India

Hindustan Times (New Delhi)
The Statesman (New Delhi)
The Times of India (New Delhi)
The Indian Express (New Delhi)
The Hindu (Delhi)
Pioneer (Delhi)
राष्ट्रीय सहारा (दिल्ली)

☐ Deccan Herald (Bengaluru)
☐ Deccan Chronicle
☐ The Economic Times (New Delhi)
☐ Business Standard (New Delhi)
☐ The Tribune (Gurugram)
☐ Financial Express
☐ दैनिक भास्कर (नई दिल्ली)

☐ हिंदुस्तान (नई दिल्ली)
☐ नव भारत टाइम्स (नई दिल्ली)
☐ पंजाब केसरी (दिल्ली)
☒ राजस्थान पत्रिका (नई दिल्ली)
☐ दैनिक जागरण (नई दिल्ली)
☐ जनसत्ता (दिल्ली)
☐ अमर उजाला (नई दिल्ली)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

and documented at WSE Dte, CWC.

An unusual monsoon

The incidence of heavy downpours is steadily spiking BS-4

This year's monsoon will go down in history for its several unusual features. For one, though the four-month monsoon season officially ended on September 30, the withdrawal of the monsoon is nowhere in sight. The India Meteorological Department (IMD) does not foresee the retreat to begin before October 10, many days after the previous most belated departure on October 1 in 1961. This would, thus, be the longest stay of the monsoon on record. Besides, rain this year is the highest in 25 years, with 10 per cent excess received till the end of September. Also, this is the first time since 1931 that the monsoon has rebounded after a poor start in such a manner as to wipe out the 33 per cent deficit in June and move ahead to end up in the above-normal category. This is largely due to the unusually heavy showers in the second half (August-September) of the season. Precipitation in September alone was 52 per cent above average, making it the wettest September in 102 years.

This apart, the rainfall pattern has corroborated the notion that the determinants of normalcy about the monsoon's onset and withdrawal, rainfall during the initial part of the season, and the frequency of extreme weather events are changing and need to be revised. The present "normal levels" were fixed in 1941 and are no longer valid, thanks, perhaps, to climate change. The monsoon now tends to turn up and depart later than their scheduled dates. Also, the monsoon now remains rather sluggish in the early part of the season. In seven of the past 11 years, rain in the first monsoon month of June has been below par. The incidence of very heavy downpours is also steadily spiking. Moreover, north-eastern India seems no longer to be a high-rainfall zone. After two decades (during the 1990s and 2000s) of good monsoons, the region has once again witnessed low rain. These variations in climate have major implications for agriculture, necessitating adjustments in the crop calendar and agronomic operations. Other water management practices, too, need to change.

The remarkable run of the monsoon is attributable largely to weakening of its nemesis El Nino (warming of the Pacific Ocean) and the simultaneous favourable turn in the Indian Ocean Dipole (temperature oscillations in the Indian Ocean) in July. Interestingly, the IMD managed to foresee the likely disposition of El Nino more accurately than most other global and domestic weather watchers, which felt it would continue to depress the monsoon. The IMD, therefore, managed to accurately capture the trend of rain though its estimates about the amount of precipitation proved to be off the mark.

Importantly, the oddities of the present monsoon are not expected to affect the economy negatively. Crop output is anticipated to be normal in the current kharif season and better than that in the ensuing rabi, thanks to adequate residual soil moisture due to the late rains. The water stock in the country's 113 reservoirs is 15 per cent more than that of last year and 21 per cent above the past 10 years' average. Most dams had to open the floodgates to release surplus water. This bodes well for irrigation, hydel power production, and other water-based industrial activities. All this should help support economic activity.

Hindustan Times (New Delhi)
The Statesman (New Delhi)
The Times of India (New Delhi)
The Indian Express (New Delhi)
The Hindu (Delhi)
Pioneer (Delhi)
राष्ट्रीय सहारा (दिल्ली)

☐ Deccan Herald (Bengaluru)
☐ Deccan Chronicle
☐ The Economic Times (New Delhi)
☐ Business Standard (New Delhi)
☐ The Tribune (Gurugram)
☐ Financial Express
☐ दैनिक भास्कर (नई दिल्ली)

☐ हिंदुस्तान (नई दिल्ली)
☐ नव भारत टाइम्स (नई दिल्ली)
☐ पंजाब केसरी (दिल्ली)
☐ राजस्थान पत्रिका (नई दिल्ली)
☐ दैनिक जागरण (नई दिल्ली)
☐ जनसत्ता (दिल्ली)
☐ अमर उजाला (नई दिल्ली)

☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐

and documented at WSE Dte, CWC.

गंगा और सहायक नदियों में मूर्ति विसर्जन करने पर लगेगा 50,000 जुर्माना

नई दिल्ली, (भाषा): केन्द्र ने राज्यों को निर्देश जारी कर त्योहारों के दौरान गंगा और उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण पर नजर रखने को कहा है। साथ ही गंगा या सहायक नदियों में मूर्ति विसर्जन करने पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा की ओर से 16 सितंबर को जारी निर्देशानुसार गंगा और उसकी सहायक नदियों में किसी प्रतिमा के विसर्जन की अनुमति नहीं होनी चाहिए। इसमें राज्य सरकार के अधिकारियों से कहा गया है कि वह गणेश चतुर्थी, विश्वकर्मा पूजा, दशहरा, दीपावली, छठ पूजा और सरस्वती पूजा जैसे त्योहारों के कारण सात दिन के भीतर

राज्य सरकारों से गणेश चतुर्थी, विश्वकर्मा पूजा, दशहरा, दीपावली, छठ पूजा और सरस्वती पूजा जैसे त्योहारों के कारण सात दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी

कार्रवाई रिपोर्ट सौंपें। निर्देश में कहा गया है, यदि कोई आदेश का उल्लंघन करता हुआ मिला तो उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और वह राशि वसूल कर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दे दी जाएगी। जिलाधिकारियों को इसे लागू करने को कहा गया है।

पेयजल आपूर्ति में गुणवत्ता मानक अनुपालन हो सकता है अनिवार्य

नई दिल्ली, (भाषा): उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्र सरकार घरों में आपूर्ति होने वाले पेयजल के लिये बीआईएस गुणवत्ता मानक के अनुपालन को अनिवार्य बनाने को लेकर जल्द ही विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू करेगी। यह काम राष्ट्रीय राजधानी से शुरू होकर राज्यों की राजधानियों और 100 स्मार्ट शहरों में किया जायेगा। उन्होंने कहा कि घरों में नल से होने वाली जलापूर्ति में भारतीय गुणवत्ता मानक बीआईएस का अनुपालन अनिवार्य करने के संदर्भ में दिल्ली सरकार और जल बोर्ड के अधिकारियों को कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के 11 क्षेत्रों से अचानक लिये गये नल के पानी के नमूनों की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि ये पानी बीआईएस मानक के

जल्द ही विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू करेगी सरकार: पासवान



अनुरूप नहीं था और पीने के लिहाज से सुरक्षित नहीं था। राष्ट्रीय निकाय, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) जो उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत काम करता है तथा उत्पादों और सेवाओं के लिए गुणवत्ता मानदंडों को तैयार करता है, ने पीने के पानी के लिए मानक निर्धारित किए हैं लेकिन इनका अनुपालन करना स्वैच्छिक है। पासवान ने कहा कि दिल्ली में आपूर्ति किए जाने

वाले नल के पानी की प्रारंभिक रिपोर्ट को देखने के बाद, हम कम से कम राष्ट्रीय राजधानी, राज्यों की राजधानियों और 100 स्मार्ट शहरों में नल से मिलने वाली पानी पर बीआईएस मानकों के अनुपालन को अनिवार्य करने के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर अंशधारकों के विचार जाने जायेंगे। राज्य सरकारों को एक पत्र जारी किया जाएगा और इस मामले पर उनके विचार मांगे जायेंगे। उन्होंने कहा कि पहले से ही एक बीआईएस टीम को राज्यों की राजधानियों में नल के पानी के नमूने एकत्र करने और परीक्षण करने के लिए भेजा गया है कि वे बीआईएस गुणवत्ता मानक का अनुपालन करते हैं अथवा नहीं। मंत्री ने कहा कि इस काम में एक महीने का समय लगेगा। रिपोर्ट पहले सप्ताह में आ जाएगी।

क्या कहती है मानसून की यह करवट

इस बार वर्षा की अति हमें उस समय परेशान कर रही है, जब यह माना जाने लगा है कि हम कम वर्षा के युग में प्रवेश कर चुके हैं।

अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है और आमतौर पर इस समय तक मानसून की आधिकारिक विदाई हो जाती है। मगर इस बार देश के कई हिस्सों में बारिश अब भी जारी है। माना जा रहा है कि उत्तर-पश्चिम भारत से मानसून की खानगी 10 अक्टूबर से शुरू होगी। भारत में मानसून का सफर केरल तट से शुरू होता है और पूरे देश में बारिश कराने के बाद यह फिर इसी तट से वापस

लौट जाता है। पिछले कुछ वर्षों में इस पर अल नीनो का प्रभाव बढ़ा है। अल नीनो की वजह से ही इस साल शुरूआती दिनों में सूखे की स्थिति दिखी, लेकिन बाद में भारी बारिश हुई, और एक ही मानसून में हमें सूखा और बाढ़, दोनों अनुभवों से गुजरना पड़ा। सितंबर के अंत में इसका मिजाज कुछ यूँ बदला कि पटना जैसे शहर अप्रत्याशित बाढ़ में डूब गए।

बहरहाल, अपने यहां मौसम के पूर्वानुमान की गणना क्लाइमेट फॉरकास्ट सिस्टम (सीएफएस वी2) नामक वैश्विक मॉडल से की जाती है। इससे पता चलता है कि अगले तीन-चार महीनों में मौसम की दशा-दिशा क्या होगी और कहां-कितनी बारिश होगी या कितनी धूप की रोशनी खिलेगी? इसमें अल नीनो और ला नीना के प्रभावों का भी अध्ययन किया जाता है। अल नीनो प्रभाव तब पैदा होता है, जब प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में समुद्री सतह का तपमान सामान्य से ज्यादा हो जाता है। इसकी वजह से पेरू व दक्षिण अमेरिका में ज्यादा बारिश होती है, जबकि दक्षिण-पूर्व एशिया में कम।

इस बार भी अनुमान लगाया गया था कि अल नीनो की सक्रियता रहेगी और भारत, खासतौर से इसके उत्तरी हिस्से में सामान्य से कम बारिश होगी। आकलन यह भी था कि अल नीनो प्रभाव जुलाई से कम होता जाएगा और फिर 'न्यूट्रल' (अल नीनो का

महेश पलावत
मुख्य मौसम विज्ञानी
स्काईमेट



प्रभाव खत्म होना) की स्थिति बन जाएगी। चूंकि न्यूट्रल स्थिति में भी मानसून ज्यादा अच्छा नहीं रहता, इसलिए तमाम पूर्वानुमानों में 'सामान्य से कम' बारिश की बात कही गई थी। मगर पूर्वी प्रशांत महासागर की सतह का तापमान अनुमान से पहले कम होने लगा, जिससे अल नीनो का प्रभाव जल्द ही खत्म हो गया और समय-पूर्व 'न्यूट्रल' की स्थिति बन गई।

जब अल नीनो सक्रिय रहता है, तो हिंद महासागर द्विध्रुव (इंडियन ओशन डायपोल-आईओडी) आमतौर पर असरकारी नहीं रहता। आईओडी के कारण हिंद महासागर और अरब सागर की सतह का तापमान बढ़ जाता है, जिससे हमारे यहां मानसूनी बारिश तेज हो जाती है। मगर चूंकि यह क्षेत्रीय कारक है और अल नीनो वैश्विक, इसलिए मौसम के आकलन में अल नीनो को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, लेकिन इस बार क्षेत्रीय कारक ही प्रभावी साबित हुआ है। आज से पहले यह स्थिति 1997 में दिखी थी, जब अल नीनो प्रभाव के बाद भी बादल छाए रहे और तेज बरसात होती रही।

हमारे देश में विशेषकर दक्षिण-पश्चिम मानसून बनने में मैडेन जूलियन ऑसीलेशन (एमजेओ) भी अहम भूमिका निभाता है। एमजेओ असल में गरम हवा के कारण उष्णकटिबंधीय मौसम में होने वाला उतार-चढ़ाव है। जब-जब हिंद महासागर में यह कारक सक्रिय होता है, तब-तब भारत में मानसून तेज हो जाता है। अप्रैल के महीने में, जब मानसून की भविष्यवाणी की जाती है, इसका

आकलन मुश्किल है। इस साल यह हवा अगस्त और सितंबर में दो बार हिंद महासागर से गुजरी, जिससे देश के कुछ हिस्सों में अप्रत्याशित बरसात हुई और मानसूनी बारिश सामान्य से 53 फीसदी ज्यादा हुई।

सवाल यह है कि क्या यह प्रवृत्ति आगे भी दिखेगी? फिलहाल यह बताना आसान नहीं होगा। अभी यह अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता कि अगले साल अल नीनो असरकारी होगा, ला नीना (अल नीनो से विपरीत इसमें समुद्री सतह का तापमान कम हो जाता है और पश्चिमी प्रशांत महासागर के इलाकों में अच्छी बारिश होती है) रहेगा या फिर न्यूट्रल स्थिति बनेगी। अगले साल आईओडी को नजरंदाज करने का जोखिम भी वैज्ञानिक शायद ही उठाना पसंद करेंगे। मगर इन सबमें एक बात तय है कि मानसून पर जलवायु परिवर्तन का असर साफ-साफ दिखेगा। 'क्लाइमेट चेंज' के कारण ही पिछले कुछ वर्षों में अल नीनो प्रभाव कहीं अधिक तीव्रता से और अनवरत असरकारी होने लगा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के साथ-साथ यह प्रभाव भी बढ़ेगा, जिससे मानसूनी बारिश कहीं ज्यादा प्रभावित होगी।

जलवायु परिवर्तन किस कदर मानसून को प्रभावित कर रहा है, इसे अपने यहां के कुछ आंकड़ों से भी समझ सकते हैं। भारत में मानसून का अब एक खास पैटर्न दिखने लगा है। हम एक अंतराल के बाद सूखे से जूझने लगे हैं। इसी सदी में साल 2002, 2004, 2009, 2014 और 2015 में हमने सूखा झेला, जबकि साल 2000, 2001, 2012, 2017 और 2018 में सामान्य से कम बारिश हुई। मौजूदा दशक (2011-2020) में 2018 तक हुई मानसूनी बारिश का अगर अध्ययन करें, तो यह औसतन 835 मिलीमीटर है, जबकि मानसूनी मौसमी वर्षा का दीर्घकालिक औसत (एलपीए) 887 मिलीमीटर है।

जाहिर है, हम अब कम वर्षा वाले युग में प्रवेश कर चुके हैं। आने वाले वर्षों में ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की वजह से मानसूनी वर्षा सामान्य से कम होती जाएगी, जिसका नुकसान अंततः मानव जाति को ही होगा। बेशक इस साल सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन यह प्रवृत्ति शायद ही आगे बनी रहेगी। अभी की मानसूनी बारिश को हमें अपवाद ही मानना चाहिए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)



Hindustan Times (New Delhi)
The Statesman (New Delhi)
The Times of India (New Delhi)
The Indian Express (New Delhi)
The Hindu (Delhi)
Pioneer (Delhi)
राष्ट्रीय सहरा (दिल्ली)

☐ Deccan Herald (Bengaluru)
☐ Deccan Cronicle
☐ The Economic Times (New Delhi)
☐ Business Standard (New Delhi)
☐ The Tribune (Gurugram)
☐ Financial Express
☐ दैनिक भास्कर (नई दिल्ली)

☐ हिंदुस्तान (नई दिल्ली)
☐ नव भारत टाइम्स (नई दिल्ली)
☐ पंजाब केसरी (दिल्ली)
☐ राजस्थान पत्रिका (नई दिल्ली)
☐ दैनिक जागरण (नई दिल्ली)
☐ जनसत्ता (दिल्ली)
☐ अमर उजाला (नई दिल्ली)

☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐

and documented at WSE Dte, CWC.

पानी कितना साफ? केंद्र और दिल्ली आमने-सामने

राजधानी में पानी की क्वालिटी BIS के अनुरूप नहीं : पासवान

12483 सैंपल की जांच की गई, सिर्फ 217 सैंपल ही हुए फेल : डीजेबी

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नलों के जरिए जो पानी सप्लाई की जा रही है, वह भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के तय गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं है। दिल्ली के 11 इलाकों से लिए गए पानी के नमूनों की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि ये पानी बीआईएस मानक के अनुरूप नहीं थे और पीने के लिहाज से सुरक्षित नहीं थे। हालांकि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा था कि यह पासवान का निजी विचार हो सकता है। हमने दिल्ली में 20 जगह वॉटर सैंपल लिए थे और हर जगह पानी की गुणवत्ता यूरोप के मानकों से बेहतर थी।

पासवान ने भी पिछले हफ्ते भी दिल्ली में घरों में सप्लाई होने वाले पानी की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए थे, जब जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा था कि दिल्ली में पानी की गुणवत्ता यूरोपीय मानकों से बेहतर है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पानी की गुणवत्ता के बारे में पासवान ने कहा कि वह उनकी निजी राय है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार घरों में नलों के जरिए सप्लाई किए जाने वाले पेयजल के लिए बीआईएस द्वारा तय क्वालिटी को जरूरी बनाने को लेकर जल्द ही विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू करेगी। यह काम दिल्ली से शुरू होकर राज्यों की राजधानियों और 100 स्मार्ट शहरों में किया जाएगा।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पेयजल की क्वालिटी सुधारने को लेकर जो केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, उस बारे में दिल्ली सरकार और जल बोर्ड के अधिकारियों को कोई आपत्ति नहीं है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) जो उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत काम करता है तथा उत्पादों और सेवाओं के लिए गुणवत्ता मानदंडों को



उठाए सवाल...

- पेयजल की क्वालिटी सुधारने पर दिल्ली सरकार और जल बोर्ड को कोई आपत्ति नहीं
- बीआईएस ने पानी के लिए मानक निर्धारित किए, लेकिन इनका पालन करना स्वैच्छिक है

तैयार करता है। बीआईएस ने पीने के पानी के लिए मानक निर्धारित किए हैं लेकिन इनका पालन करना स्वैच्छिक है। पासवान ने कहा कि पानी की गुणवत्ता में सुधार का काम शुरू करने में एक महीने का समय लगेगा। रिपोर्ट पहले सप्ताह में आ जाएगी। हमें पता चल जाएगा कि कौन से राज्य में पानी की गुणवत्ता क्या है, उसके हिसाब से उनको रैंकिंग दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हम अंतिम लैब रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद पानी के नमूनों के बारे में जानकारी को विस्तार से बतायेंगे।

उन्होंने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी), नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी), बीआईएस, केंद्रीय जल शक्ति और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में लैब रिपोर्ट पर चर्चा की गई। बैठक में दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के अधिकारियों ने बताया कि पाइप से आपूर्ति किए जाने वाले पानी के लिए बीआईएस मानक का पालन जरूरी किए जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।



Poonam.Gaur@timesgroup.com

■ नई दिल्ली : दिल्ली में पीने के पानी की क्वालिटी को लेकर कोई समस्या नहीं है। अधिकांश घरों में पीने का पानी एकदम साफ है। दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार कुछ जगहों पर लोगों के घरों की अंदरूनी पाइपलाइन में लीकेज की वजह से गंदा पानी आता है। पानी में टीडीसी और अन्य प्रदूषक तत्वों की जांच डीजेबी करता है। 1 से 23 सितंबर के बीच पानी के 12483 सैंपल लिए गए और जांच में सिर्फ 217 सैंपल ही फेल मिले हैं।

डीजेबी के अनुसार 8 वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट से प्रतिदिन सप्लाई से पहले पानी के नमूनों की जांच होती है। इसके बाद ही पानी सप्लाई किया जाता है। इसके बाद भी डीजेबी अलग-अलग क्षेत्रों से पानी के सैंपल रोज कलेक्ट कर उनकी जांच करता है। जिन क्षेत्रों से शिकायतें मिलती हैं, वहां से भी पानी के नमूने लेकर जांच

की जाती है। 12483 में से महज 127 सैंपल ही फेल हुए। इन सैंपलों में गंदगी मिली, पानी में हार्डनेस और सीवर का पानी मिला था। इन सैंपलों में ज्यादातर सैंपल करावल नगर, साध नगर, राज नगर, पालम, पालम एक्सटेंशन, उत्तम नगर, साउथ एक्स, राजेंद्र पार्क, नांगलोई, राजौरी गार्डन के हैं।

कुछ जगहों पर ही पाइपलाइन में लीकेज की वजह से समस्या की बात कही

डीजेबी प्रवक्ता के अनुसार ज्यादातर पुरानी कॉलोनिजों से पानी की दिक्कत आती है। इनमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग अपने घरों की पुरानी पाइपलाइन को नहीं बदलते। जिसकी वजह से घरों में दिक्कत होती है। कुछ जगहों पर पाइपलाइन में लीकेज की समस्या मिलती है, जिसे ठीक किया जाता है तो कभी कभी सार्वजनिक बर्तनों की वजह से लाइनें टूट जाती हैं तो पानी में गंदगी मिक्स हो जाती है। कुछ दूसरी वजह भी होती हैं लेकिन पानी की सप्लाई ज्यादातर क्षेत्रों में एक दम सही है।

Hindustan Times (New Delhi)
The Statesman (New Delhi)
The Times of India (New Delhi)
The Indian Express (New Delhi)
The Hindu (Delhi)
Pioneer (Delhi)
राष्ट्रीय सहाय (दिल्ली)

☐ Deccan Herald (Bengaluru)
☐ Deccan Chronicle
☐ The Economic Times (New Delhi)
☐ Business Standard (New Delhi)
☐ The Tribune (Gurugram)
☐ Financial Express
☐ दैनिक भास्कर (नई दिल्ली)

☐ हिंदुस्तान (नई दिल्ली)
☐ नव भारत टाइम्स (नई दिल्ली)
☐ पंजाब केसरी (दिल्ली)
☐ राजस्थान पत्रिका (नई दिल्ली)
☐ दैनिक जागरण (नई दिल्ली)
☐ जनसत्ता (दिल्ली)
☐ अमर उजाला (नई दिल्ली)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

and documented at WSE Dte, CWC.

HINDU - 04.10.2019

जल आपूर्ति में मानकों को अनिवार्य बनाने की तैयारी

H-4/10

पहल

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

केंद्र सरकार नल के जरिए आपूर्ति किए जाने वाले पानी के लिए मानक अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार जल्द सभी राज्यों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाएगी।

केंद्र ने सभी स्मार्ट सिटी और प्रदेशों की राजधानियों में पानी की जांच शुरू कर दी है, ताकि इन शहरों से स्वच्छ पानी अभियान की शुरुआत की जा सके। क्योंकि दिल्ली सहित देश के लगभग सभी शहरों में नल के जरिए आपूर्ति किए जाने वाले पानी की गुणवत्ता तय मानक से बेहद खराब है।

मीडिया से बात करते हुए रामविलास पासवान ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड और एनडीएमसी पानी के गुणवत्ता के नियमों को अनिवार्य बनाने के लिए तैयार है। इसलिए वह जल्द सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर इस पर राय लेंगे। साथ ही केंद्रीय उपभोक्ता सचिव जल्द सभी प्रदेशों के

दिल्ली का पानी पीने लायक नहीं

केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने गुरुवार को दिल्ली में आपूर्ति किए जाने वाले पानी की गुणवत्ता की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि देश में 2012 में पानी की गुणवत्ता को लेकर मानक तय किए गए थे, दिल्ली जल बोर्ड और एनडीएमसी का पानी बीआईएस के 42 मानकों में से अधिकतर पर खरा नहीं उतर पाया। नल से पानी आपूर्ति के यह नमूने नई दिल्ली स्थित कृषि भवन, मंत्री के सरकारी आवास 12, जनपथ सहित कुल 11 जगहों से इकट्ठा किए गए थे।

अधिकारियों के साथ बैठक कर बीआईएस मानकों को अनिवार्य बनाने पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी पानी की खराब आपूर्ति पर जल बोर्ड के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, पर मानकों के अनिवार्य होने पर खराब पानी को लेकर कार्रवाई की जा सकती है।

NBT - 04.10.2019

‘अटल भूजल योजना’ जल्द ही कैबिनेट के समक्ष रखी जाएगी

NBT-4/10

नई दिल्ली, (भाषा): भूजल संरक्षण की मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी ‘अटल भूजल योजना’ को जल्द ही मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिये रखा जायेगा। यह योजना मंत्रिमंडल की मंजूरी के अभाव में पिछले करीब डेढ़ साल से आगे नहीं बढ़ पायी है।

‘अटल भूजल योजना’ को

विश्व बैंक की सहायता से 2018-19 से 2022-23 की पांच वर्ष की अवधि में कार्यान्वित किया जाना तय किया गया था। सरकार ने मार्च 2018 में ‘अटल भूजल योजना’ का प्रस्ताव

किया था जिसका लक्ष्य अत्यधिक भूजल के दोहन वाले सात राज्यों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सामुदायिक हिस्सेदारी के साथ टिकाऊ भूजल प्रबंधन करना है। अटल भूजल योजना की प्रगति के बारे में पूछे जाने पर जल शक्ति मंत्रालय के सचिव यू पी सिंह ने बताया, ‘इस योजना को मंजूरी के

लिये जल्द ही कैबिनेट के समक्ष रखा जायेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना (अटल भूजल योजना) के बारे में हाल ही में प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार ने प्रस्तुति ली है।

सिंह ने कहा कि 1000 करोड़ रुपये से अधिक राशि की किसी भी योजना की कैबिनेट से मंजूरी प्राप्त करनी होती है। वित्त

व्यय समिति पहले ही अटल भूजल योजना के प्रस्ताव की अनुशंसा कर चुकी है।

गौरतलब है कि नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि

लगातार घट रहा भूजल स्तर वर्ष 2030 तक देश में सबसे बड़े संकट के रूप में उभरेगा।

केंद्रीय भूजल बोर्ड तथा राज्य भूजल विभागों के आंकड़ों के अनुसार, देश में कुल मूल्यांकित 6584 इकाई (ब्लाक/ तालुका / मंडल) में से 1034 इकाइयों को अत्यधिक दोहन की गयी इकाइयों की श्रेणी में रखा गया है।

मंत्रिमंडल की मंजूरी के अभाव में डेढ़ साल से अटल है यह योजना